न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2026/76
मिसल नम्बर–12 / 2026

नाथी बाई पत्नी स्व0 श्री हीरालाल आयु 61 वर्ष निवासी मकान नं0 37 राजपूत कोलोनी सेक्टर 4 केशवपुरा जिला कोटा (राज०)

– प्रार्थीयां

बनाम

1.रघुवीर प्रजापति पुत्रस्व0 श्री हीरालाल आयु 33 वर्ष
2.आरती प्रजापति पत्नी रघुवीर प्रजापति आयु 29 वर्ष निवासी मकान नं 037 राजपूत कोलोनी सेक्टर 4 केशवपुरा जिला कोटा (राज०)

– अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/3/2026

उपस्थितिः–
1.श्री टीना सुमन प्रार्थीया अधिवक्ता
2.श्री अनुराग दाधीच अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया, प्रतिपक्षी नं0–1 की माता तथा प्रतिपक्षी नं0–2 की सास है. प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्ध बुजुर्ग महिला है जो कि कई वर्षों से अस्वस्थ्य होने से चलने फिरने में असमर्थ है।

प्रार्थीया के पति स्व. श्री हीरालाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी गाढी मेहनत की कमाई से उक्त भूखण्ड खरीद कर उस पर निर्माण कर मकान बनाया गया। प्रार्थीया के दो पुत्र व दो पुत्रियां है।

प्रार्थीया के दो पुत्र तथा एक पुत्री जिनका विवाह प्रार्थीया व उसके पति स्व. श्री हीरालाल जी द्वारा उनके जीवनकाल में बड़ी धूमधाम से सभी मांगलिक कार्य विधिवत पूर्ण करवाकर किया गया था तथा एक अन्य पुत्री विमला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अविवाहित है, जिसकी सेवा सुश्रुषा,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लालन–पोषण स्वयं प्रार्थीया द्वारा ही अपनी वृद्धावस्था में होने के कारण बमुश्किल किया जाता रहा है।

प्रतिपक्षी नं0–1 का विवाह प्रतिपक्षी नं0–2 आरती प्रजापति पुत्री स्व. रमेशचन्द जी निवासी–लंका कोलोनी, चरी घाट रोड, पायल किराना स्टोर, बारां (राज०)के साथ 10.05.2023 को प्रीत मैरिज गार्डन, लंका कोलोनी, बारां मे हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था।

विवाह के पश्चात से ही प्रतिपक्षीगण का व्यवहार प्रार्थीया व उसके परिवारजन एवं रिश्तेदारो के प्रति काफी क्रूरतापूर्वक रहा। प्रतिपक्षी नं0–2 प्रार्थीया व उसके परिवारजन के साथ झगडा करती, अपशब्दों का प्रयोग करती तथा प्रार्थीया एवं उसके परिवारजनो से बदतमीजी करती एवं सदैव झगडा करती साथ ही मारपीट करती है।

प्रतिपक्षीगण के द्वारा विवाह के दो–तीन दिन पश्चात से ही घर में अकारण क्लेश व मानसिक प्रताडनाये जारी कर दी गई जिसे निरन्तर आज भी प्रार्थीया का परिवार सहन करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीया का जीवन जीना दुर्भर हो गया है।

प्रतिपक्षी नं0–2 आये दिन विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीया के परिवारजनो को धमकाती व फांसी लगाने के नाटक करती तथा प्रतिपक्षी नं0–2 को समझाते तो उल्टा प्रतिपक्षी नं0–2 अपने पीहर अपनी मां को फोन करती जिस पर प्रतिपक्षी नं0–2 की मां प्रतिपक्षी नं0–2 का समर्थन करती तथा उसके उक्त कृत्य पर उसे समझाने के बिना उल्टा प्रार्थीया व उसके परिवारजनो को धमकाती। जिससे प्रार्थीया का जीवन संकटमय हो गया है।

प्रतिपक्षी नं0–2 आये दिन प्रार्थीया के बड़े पुत्र मुकेश व उसकी पत्नि यशोदा के साथ झगडा करती व अपशब्द कहती कि यह तो बांझ है, कुलक्षणी है. इन्हे घर से निकाल दो, जिसे भी प्रतिपक्षी नं0–2 की जेठ जेठानी द्वारा सहन किया जाता रहा जिससे उनका भी जीना दुर्भर हो रहा है तथा वह प्रतिपक्षीगण के विवाह के दो माह पश्चात ही लडाई झगड़ो से तंग आकर पृथक निवास कर रहे है।

प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा प्रार्थीया की दूसरी पुत्री विमला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसके साथ भी आये दिन मारपीट करती तथा उसे पागल व अन्य अपमानजनक शब्दो से प्रताडित करती जिससे उसकी मनोस्थिति पर विपरीत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रभाव पडने से उसका जीवन भी सकटमय हो चुका है। जिससे निरन्तर विमला को प्रतिपक्षी नं०–2 से जान माल का खतरा निरन्तर बना हुआ है। प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा अपने ससुर स्व. श्री हीरालाल जी के जीवनकाल मे भी उनके साथ भी बदतमीजी, अपशब्द व अनर्गल हरकतों के किये जाने की वजह से उनकी भी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण गम में ही मृत्यु हो गई जिसकी जिम्मेदार भी प्रतिपक्षी नं0–2 ही है।

प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा प्रतिपक्षी नं0–1 को भी नाजायज तौर पर आये दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता है तथा प्रतिपक्षी नं0–1 से कहा जाता है कि वह घर में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी प्रार्थीया के लालन पोषण व अपनी विक्षिप्त बहन विमला पर किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करें ना ही उनकी किसी भी प्रकार से सेवा सुश्रुषा करे। इस बाबत निरन्तर प्रतिपक्षी नं0–1 के साथ भी झगडा करती तथा अपने पीहर पक्ष के लोगो द्वारा प्रतिपक्षी नं0–1 को धमकियां दिलवाती। जिस पर प्रतिपक्षी नं0–1. प्रतिपक्षी नं0–2 के बहकावे में आ जाता व प्रार्थीया के साथ झगडा करता जिससे प्रार्थीया का प्रतिपक्षीगण के साथ उक्त मकान में रहना दुर्भर हो चुका है तथा निरन्तर प्रतिपक्षीगण से जान माल का खतरा बना हुआ है।

प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा विवाह से लेकर आज दिनांक तक कभी भी प्रार्थीया की सेवा सुश्रुषा नहीं की है और ना ही कभी प्रार्थीया व उसके स्वर्गीय पति को सम्मान दिया गया है तथा ना ही प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा अपनी पुत्री जो प्रार्थीया की पौत्री है, के साथ प्यार दुलार से पेश आने देती। जिससे प्रार्थीया निरन्तर मानसिक यातना व प्रताडना झेल रही है। प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा कई बार घर मे फांसी लगाने का कृत्य तथा अपने हाथ व गर्दन पर चाकू फेरने जैसा कृत्य किया गया जिसकी सूचना समय–समय पर प्रार्थीया व उसके परिवारजनो द्वारा प्रतिपक्षी नं0–2 के पीहर पक्ष के लोगो को दी गई जिस पर उनकी सदैव प्रतिक्रिया रही कि प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा बचपन से ही इस तरह की नौटंकियां की जाती रही है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के उक्त मकान में निवास करने के दौरान ना तो उक्त मकान के नल व बिजली के बिल जो प्रतिपक्षीगण के द्वारा उपयोग–उपभोग मे लिये जाते रहे है उनका भी भुगतान नही किया जाता और ना ही उक्त मकान में टूट–फूट व मरम्मत एवं प्रार्थीया व उसकी विक्षिप्त पुत्री विमला का चिकित्सकीय जांच व दवाईयो आदि का भी खर्चा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को नहीं दिया जाता, जिस कारण प्रार्थीया व उसकी पुत्री विमला का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जीवन संकटमय हो गया है, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीया वृद्ध, विधवा व सीनियर सिटीजन महिला होने के कारण प्रार्थीया के पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है तथा प्रतिपक्षी नं0–1 रेल्वे में कार्यरत है जो भी अपनी सारी कमाई प्रतिपक्षी नं0–2 के बहकावे में आकर उसके पीहर पक्ष के लोगो पर खर्च कर देता है तथा प्रार्थीया का किसी भी प्रकार से लालन पोषण प्रतिपक्षीगण द्वारा नहीं किया जाता है तथा प्रार्थीया के साथ प्रतिपक्षीगण द्वारा निरन्तर शारीरिक व मानसिक क्रूरता की जाती है, इस कारण प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड रहा है। दिनांक 26.01.2026 को पुनः प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा अकारण ही प्रार्थीया के साथ बदतमीजी की गई व मारपीट करने पर अमादा हो गई, जिस पर प्रतिपक्षी नं0–1 द्वारा प्रतिपक्षी नं0–2 का समर्थन किया गया। जिसकी रिपोर्ट लिखाने प्रार्थीया थाना हाजा महावीर नगर, कोटा में गई तो वहां उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा कहा गया कि तुम लोगो का तो यह आये दिन का काम है तुम्हारा मामला घरेलू है हम तुम्हारी कोई मदद नही कर सकते, तुम कोर्ट में ही जाओ तथा इतना कहकर प्रार्थीया को वहां से जाने के लिए कहा और प्रार्थीया की कोई सुनवाई भी नहीं की गई।

थाना हाजा महावीर नगर, कोटा का उदासीन रवैया होने के कारण प्रतिपक्षीगण व प्रतिपक्षी नं0–2 के पीहर पक्ष के लोगों के हौंसले बुलन्द हो रहे है जिससे प्रार्थीया का जीवन संकटमय हो चुका है तथा प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण से निरन्तर जान माल का खतरा बना हुआ है। उक्त घटना का परिवाद प्रार्थीया द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर कोटा के यहां दिनांक 28.01.2026 को प्रस्तुत किया गया जिस पर भी आज दिनांक तक कोई विधि सम्मत कार्यवाही नही की गई, इस कारण मजबूरन प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीया के पति स्व. श्री हीरालाल जी की स्वअर्जित मकान नं0–37, राजपूत कोलोनी, सेक्टर–4, केशवपुरा, कोटा (राज०) से बेदखल किये जाने का अविलम्ब आदेश फरमाया जावे व प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण से प्रतिमाह 25,000/– रुपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण एवं चिकित्सकीय ईलाज के लिए दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिपक्षी नं0–1 विवाह के पश्चात से ही प्रतिपक्षी नं0–2 का व्यवहार प्रार्थीया व उसके परिवारजन व रिश्तेदारो के प्रति क्रूरतापूर्वक रहने से अपने वैवाहिक जीवन का बचाने के लिए पृथक से प्रथम मंजिल पर बने कमरे में निवास करता रहा।

प्रतिपक्षी नं0–1 की पत्नि प्रतिपक्षी नं0–2 आये दिन प्रार्थीया व उसके पति से झगड़ा करके उन्हें अपमानित करती तथा उनके बडे पुत्र मुकेश व उसकी पत्नि यशोदा को अपशब्द कहकर अकारण प्रताडित करती, जिस कारण उनका जीवन जीना दुर्भर हो गया व जिस कारण उन्हे पृथक से निवास करना पड रहा है एवं प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा प्रतिपक्षी नं0–1 की बहन विमला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उससे भी झगडा व मारपीट की जाती है।

प्रतिपक्षी नं0–1 द्वारा अपने माता–पिता व विक्षिप्त बहन विमला के ईलाज व सेवा सुश्रुषा पर कोई खर्चा किया जाता है तो प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा उसके साथ झगडा किया जाता है तथा अपने पीहर पक्ष मे फोन कर प्रतिपक्षी नं0–1 को प्रताडित करवाया जाता है जिस कारण प्रतिपक्षी नं0–1 अपने परिवारजनो से मधुर संबंध नहीं रख पाता है। प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा प्रतिपक्षी नं0–1 से निरन्तर अपने पीहर पक्ष के लोगो के बहकावे में आकर झगडा किया जाता तथा कभी भी प्रतिपक्षी नं0–1 को उसके परिवारजनो से सकुशल प्रेमपूर्वक बर्ताव नहीं करने दिया जाता जिस कारण प्रतिपक्षी नं0–1 अपनी गृहस्थी बचाकर शांतिपूर्वक प्रार्थीया के मकान निवास करता चला आ रहा है।

प्रतिपक्षी नं0–1 स्वयं प्रतिपक्षी नं0–2 के कारण अपने किसी भी सगे रिश्तेदारो व आस पडौसियो से कुशलता पूर्वक बोलचाल, सम्मान समारोह इत्यादि में नही जा पाता, जिस कारण प्रतिपक्षी नं०–1 स्वयं प्रार्थीया व अपनी विक्षिप्त बहन विमला इत्यादि की सेवा सुश्रुषा व देखभाल नहीं कर पाता क्योंकि उक्त जिम्मेदारियो में भागीदार होने पर प्रतिपक्षी नं0–2 से प्रतिपक्षी नं0–1 का व्यक्तिगत व वैवाहिक जीवन प्रभावित होता जिससे प्रतिपक्षी नं0–1 सदैव अपने परिवारजनो से दूरी बनाकर रखता।

प्रतिपक्षी नं0–2 प्रतिपक्षी नं0–1 से झगडा कर उससे आये दिन पैसे लेती व अपने भाई व अपनी मां को उक्त पैसो को दे देती जिसका विरोध प्रतिपक्षी नं0–1 द्वारा करने पर सदैव प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा कहा जाता कि आपके पैसों पर मेरे परिवार का भी हक है जो सदैव बना रहेगा। प्रतिपक्षी नं0–1 द्वारा जब

उपखण्ड अधिकारी कोटा

प्रतिपक्षी नं0–2 पैसे नहीं दिये जाते तो प्रतिपक्षी नं0–2 प्रार्थीया व उसके परिवारजनो को अपमानित कर झूठे मुकदमो मे फंसाने की धमकियां देती जिस कारण प्रतिपक्षी नं0–1 समाज के डर से पैसे देता रहता है।

प्रतिपक्षी नं0–2 आये दिन प्रार्थीया व उसके परिवारजनो को डराने के लिए फांसी लगा लेती तथा अपने हाथो व गर्दन पर चाकू फेरती तथा अकारण प्रार्थीया व उसके परिवारजनो से झगडा करती जिस पर प्रतिपक्षी नं0–1 क समझाने पर भी वह अपनी हठधर्मिता से बाज नही आती और आये दिन निरन्तर झगडा करती रहती है। प्रतिपक्षी नं0–1 के नुत्फे से उत्पन्न हुई पुत्री हर्षाली (बोलता नाम) को भी प्रतिपक्षी नं0–2 द्वारा प्रार्थीया व उसके अन्य रिश्तेदारो के लाड दुलार से वंचित रखती तथा स्वयं प्रतिपक्षी नं0–1 को भी उसके लाड दुलार से वंचित रखा जाता। प्रतिपक्षी नं0–1 केवल मात्र अपनी गृहस्थी बचाने के लिए प्रार्थीया के मकान में निवास करता चला आ रहा है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी नं0–1 के वैवाहिक स्थिति व मनस्थिति को ध्यान में रखकर सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं साथ ही प्रतिपक्षी नं0–2 को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीया व उसके परिवारजन के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रतता अपने पीहर पक्ष के लोगो के बहकावे में आकर ना करे।

अप्रार्थी नं0 2 को प्रेषित नोटिस की तामील हो चुकी है। परन्तु अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही हुई। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में किसी प्रकार को साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा किया गया है। प्रार्थीया अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रही है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 37

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजपूत कोलोनी सेक्टर 4 केशवपुरा जिला कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थीया द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी नं0 1 रेल्वे में कार्यरत है एवं वह प्रार्थीया को 25,000/– रूप्ये प्रतिमाह अदा करने में सक्षम हैं। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थीया का उक्त स्वीकार किया गया है। जिस कारण से यह उचित प्रतीत होता है कि अप्रार्थी नं0 1 के पास आय के पर्याप्त साधन है एवं अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीया को भरण पोषण राशि दिये में सक्षम है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी माता को 5,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा